Vol 4 Issue 6 Dec 2014 ISSN No :2231-5063

International Multidisciplinary Research Journal

Golden Research Thoughts

Chief Editor
Dr.Tukaram Narayan Shinde

Publisher
Mrs.Laxmi Ashok Yakkaldevi

Associate Editor
Dr.Rajani Dalvi

Honorary
Mr.Ashok Yakkaldevi

Welcome to GRT

RNI MAHMUL/2011/38595 **ISSN No.2231-5063**

Golden Research Thoughts Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial board.Readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

International Advisory Board

Flávio de São Pedro Filho
Federal University of Rondonia, Brazil

Kamani Perera
Regional Center For Strategic Studies, Sri Lanka

Janaki Sinnasamy
Librarian, University of Malaya

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

Titus PopPhD, Partium Christian University, Oradea,Romania

Mohammad Hailat
Dept. of Mathematical Sciences, University of South Carolina Aiken

Abdullah Sabbagh
Engineering Studies, Sydney

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Fabricio Moraes de Almeida
Federal University of Rondonia, Brazil

George - Calin SERITAN
Faculty of Philosophy and Socio-Political Sciences Al. I. Cuza University, Iasi

Hasan Baktir
English Language and Literature Department, Kayseri

Ghayoor Abbas Chotana
Dept of Chemistry, Lahore University of Management Sciences[PK]

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Ilie Pintea,
Spiru Haret University, Romania

Xiaohua Yang
PhD, USA

.....More

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade
ASP College Devrukh,Ratnagiri,MS India

R. R. Patil
Head Geology Department Solapur University,Solapur

Rama Bhosale
Prin. and Jt. Director Higher Education, Panvel

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji University,Kolhapur

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai

Chakane Sanjay Dnyaneshwar
Arts, Science & Commerce College, Indapur, Pune

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary,Play India Play,Meerut(U.P.)

Iresh Swami
Ex - VC. Solapur University, Solapur

N.S. Dhaygude
Ex. Prin. Dayanand College, Solapur

Narendra Kadu
Jt. Director Higher Education, Pune

K. M. Bhandarkar
Praful Patel College of Education, Gondia

Sonal Singh
Vikram University, Ujjain

G. P. Patankar
S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka

Maj. S. Bakhtiar Choudhary
Director,Hyderabad AP India.

S.Parvathi Devi
Ph.D.-University of Allahabad

Sonal Singh,
Vikram University, Ujjain

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur

R. R. Yalikar
Director Managment Institute, Solapur

Umesh Rajderkar
Head Humanities & Social Science YCMOU,Nashik

S. R. Pandya
Head Education Dept. Mumbai University, Mumbai

Alka Darshan Shrivastava
Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar

Rahul Shriram Sudke
Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore

S.KANNAN
Annamalai University,TN

Satish Kumar Kalhotra
Maulana Azad National Urdu University

Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.aygrt.isrj.org

Golden Research Thoughts
ISSN 2231-5063
Impact Factor : 2.2052(UIF)
Volume-4 | Issue-6 | Dec-2014
Available online at www.aygrt.isrj.org

GRT

पंचायतीराज व्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता

जयन्ती पयासी

अतिथि विद्वान, राजनीति विज्ञान विभाग ,महाराणा प्रताप शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ,गाडरवारा (म.प्र.)

सारांश : भारत के संविधान निर्माताओं ने इस बात को समझा था कि महिलाओं को भी स्थानीय शासन में पुरूषों के समान ही प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिये। संविधान के अनुच्छेद 15 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 15 (3) में भी स्पष्ट रूप से महिलाओं और बच्चों के लिये राज्य को विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति दी गयी है।भारत में पंचायतों के तीसरे चरण महत्वपूर्ण उद्देश्य महिलाओं को अधिकार प्रदान करना है, अतः 73 वाँ संशोधन के अन्तर्गत पंचायत तथा स्थानीय स्वशासकीय संस्थाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 73 वाँ संशोधन के अनुसार कम से कम एक तिहाई महिलायें सभी स्तर पर निर्वाचित होगी। जिनमें पंच, सरपंच, जिला पंचायत सभी स्तर सम्मिलित है। इस आरक्षण में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्गों की महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया।

मुख्य शब्द – महिला, पंचायतीराज एवं सहभागिता ।

प्रस्तावनाः–

पंचायतीराज व्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता न सिर्फ उनकी राजनीतिक सहभागिता को लोकतांत्रिक प्रकिया में सुनिश्चित करने की है बल्कि उनके विकास संबंधी उद्दश्यों को कार्यान्वित करने की भी थी। महिलायें पंचायतीराज में इन रूपों में सहभागी हो सकती हैं।

- महिला मतदाता के रूप में।
- राजनीतिक दलों के सदस्यों के रूप में।
- प्रत्याशियों के रूप में।
- पंचायतीराज संस्था के निर्वाचित सदस्य के रूप में।
- महिला मंडल के सदस्यों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ सहभागी के रूप में।

अतः 73 वें संशोधन में महिलाओं को अधिकार प्रदान करने की घोषणा एक मील का पत्थर के समान है।पंचायतों में महिलाओं की सहभागिता अनिवार्य हो गयी है। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि विधान बनाने मात्र से बदलाव नहीं आता है। महिलाओं के लिये आरक्षण की घोषणा की प्रतिकिया एक तरफ उत्तेजना भरी तथा खुशी प्रदान करने वाली है तथा दूसरी तरफ घबराहट तथा चिन्ता वाली भी है। सबसे बड़ी समस्या पंचायत के तीनों स्तरों के लिए चुनाव के समय तक 7.95 लाख महिलाओं को खोजने की थी।

विश्लेषण – पंचायतों में महिलाओं की सहभागिता को प्रभावकारी बनाने के लिये सबसे पहले जरूरी है कि उन्हें 73 वें संविधान संशोधन के प्रावधानों के विषय में जागरूक किया जाये। अनेक महिला संगठन तथा सहकारी अभिकरण महिलाओं को जागरूक बनाने तथा चुनावों में आगे आने के लिये प्रोत्साहित कर रहे हैं। बिहार में राज्य सरकार ने महिलाओं की भूमिका पर कार्यशालाओं का आयोजन किया। ''इंडियन एसोसियन ऑफ बुमेन स्टडीज'' ने देश भर में महिला मतदाताओं के बीच जागरूकता पैदा करने का अभियान प्रारम्भ किया है। रेडियों तथा दूरदर्शन के माध्यम से जिले के दूर–दराज इलाकों में पंचायत संबंधी सूचना दी जा सकती है, इन प्रसारण केन्द्रो से क्षेत्रीय भाषा में प्रसारण का समय बढ़ाया जाये तथा विभिन्न समुदायों के स्थानीय लोगो तथा महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाये, यह सुझाव आगे प्रस्तावित है। यह सुझाव जब लागू हो जाते हैं तो पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सकेगा।

★ महिला शिक्षा :– महिलाओं में जागरूकता पैदा करने के अतिरिक्त उन्हें पंचायत व्यवस्था के विषय में शिक्षा देना भी आवश्यक है। महिलाओं को विभिन्न विकास कार्यकमों की नीतियों और महिलाओं तथा बच्चों से सम्बद्ध विषयों से अवगत कराया जा सकेगा।

★ ऑल वुमेन पंचायत :– महिलाओं की प्रभावकारी सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए एक और सुझाव है कि कानून द्वारा महिला पंचायत (ऑल वुमेन) का गठन किया जाये ताकि ग्रामीण समाज के परम्परागत तौर–तरीकों को बदला जा सके। महिला पंचायतों के प्रभावी होने से महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाया जा सकता है।

★ उचित प्रशिक्षण :– महिलाओं की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें उचित प्रशिक्षण देना आवश्यक है। पंचायत के प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के लिए तीन

बड़े संस्थाओं को चुना गया।

❖ नेशनल इन्स्ट्रीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेन्ट हैदराबाद।
❖ भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली।
❖ लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी आफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी।

इन तीनों संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण की प्रकिया प्रारम्भ कर दी गई थी।

लोकसभा से लेकर विधान सभाओं तक का शासन जनता के द्वारा चुने हुये प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है और इस कारण से हम कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र है लेकिन इस लोकतंत्र में ध्यान देने योग्य बात यह है कि चुनाव हर पाँच वर्ष में एक बार होता है। एक बार चुनकर गये प्रतिनिधि जो भी कार्य कर सकें या निर्णय ले वह उन लोगों के सम्मिलित विवेक पर निर्भर करता है। उसमें आम जनता की कोई भागीदारी नहीं होती। इसके अतिरिक्त अवैधानिककार्य करने वाले प्रतिनिधियों या पार्टी को अगले आम चुनाव में हम उन्हें सत्ता से हटा तो सकते हैं लेकिन पुनः नये चुने हुये प्रतिनिधियों के विवेक पर निर्भर है। अर्थात् जनता केवल प्रतिनिधियों के चुनाव कर सकती है उन्हें निर्देश नहीं दे सकती। जनता केवल निर्देश के रूप में अपना 'मत' ही दे सकती है। नई पंचायतीराज व्यवस्था इस संदर्भ में एक कांतिकारी कदम है जिसके द्वारा हम न केवल पंचायतों को चुन सकते हैं बल्कि समय–समय पर उनके काम काज की समीक्षा भी कर सकते हैं और उचित निर्देश भी दे सकते हैं।

निष्कर्ष –

पंचायतों के जहाँ एक ओर अधिक स्वतंत्रता देते हुये उन्हें प्रशासनिक घेरे से बाहर निकाला गया है वहीं दूसरी तरफ आम जनता या मतदाताओं को स्थानीय स्तर पर सत्ता के संचालन में और अधिक प्रभावी भूमिका बनाई गई है। जिससे यह आवश्यक हो गया है कि पंचायत अपने सभी कार्यो और भविष्य की योजनाओं की जानकारी आम जनता या ग्राम सभा के सदस्यों को दें। नवीन पंचायतीराज अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है कि देश में गांव तथा स्थानीय स्तर पर ऐसा शासन तंत्र विकसित किया जा सके जिसके द्वारा समस्याओं और विभिन्न कार्यों के लिए निर्णय लेने की प्रकिया में अधिक लोग शामिल हों। पंचायतीराज को यदि सत्ता में जनता की भागीदारी की दृष्टि से देखा जाये तो ग्राम सभा एक ऐसा माध्यम है, जहाँ न केवल निर्णय लेने में लोगों के जुड़ने की संभावना है बल्कि स्थानीय स्तर पर इन संस्थाओं का जनता का सीधे नियंत्रण भी हो सकता है इस प्रकार मुख्य रूप से नवीन पंचायतीराज की अवधारणा ग्राम पंचायत पर निर्भर करती है।

संदर्भ –

1.द्विवेदी राधेश्याम – ''मध्यप्रदेश पंचायतीराज अधिनियम सुविधा ला हाउस, इन्दौर 1993
2.जैन श्रवण कुमार – ''मध्यप्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1993'' द लॉ होम, इन्दौर 1994 पृष्ठ 443 से 448
3.ग्रामीण विकास न्यूज लेटर 8 जुलाई 1997 पृष्ठ 8
4.सिंह डॉ. आर.पी. – ''महिलाओं के लिए आरक्षण, पंचायतीराज व ग्राम विकास'' आदित्य पब्लिशर्स नई दिल्ली 2011 पृष्ठ 39

Publish Research Article
International Level Multidisciplinary Research Journal
For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper,Summary of Research Project,Theses,Books and Book Review for publication,you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed,India

- International Scientific Journal Consortium
- OPEN J-GATE

Associated and Indexed,USA

- EBSCO
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Databse
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database
- Directory Of Research Journal Indexing

Golden Research Thoughts
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005,Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.aygrt.isrj.org